

## <u>प्रेस विज्ञप्ति</u> 07/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 06.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मोहाली स्थित पीएमएलए की माननीय विशेष अदालत के समक्ष मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं, बैंक अधिकारी और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ 56.43 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने सीबीआई और पंजाब पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज ने बिना किसी माल की आवाजाही के, बैंक अधिकारी की मदद से पंजाब नेशनल बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए, क्रेडिट योग और टर्नओवर बढ़ाने के लिए, अपनी संबंधित संस्थाओं के साथ फर्जी सर्कुलर बैंकिंग लेनदेन किए, जिसे सहयोगी संस्थाओं/अन्य संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट किया गया और नकद भी निकाला गया। जाँच के दौरान, यह पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न बिचौलियों और अन्य व्यावसायिक सहयोगियों के माध्यम से, कई स्तरों पर ऋण राशि की हेराफेरी की और अंततः इसका उपयोग अपने निजी उद्देश्यों के लिए किया।

इससे पहले, स्नेहल एंटरप्राइजेज और संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं की 27.55 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 28.02.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क किया गया था, जिसकी पृष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई थी।

आगे की जाँच जारी है।